न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का बाजवास

बनाम

अप्रार्थी – श्री नाथूराम/बाबूलाल गाडोलिया कुम्हार निवासी बाजवास अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 50 /2018

निर्णय —

दिनांक 31.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाजवास ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में सरहद बाजवास के खसरा नम्बर 43 में किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 0.02½ बीघा भूमि में छप्पर बाड़ा लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — को नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा बाजवास के खसरा नम्बर 43 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 0.02½ बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12- रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02½ बीघा भूमि के 0.24 रूपये लगान का 50 गुणा 12 –/– अक्षरे बारह रूपये. दतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनॉक 31.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा